# बिहार सरकार
## जल संसाधन विभाग

## –: तार्किक आदेश :–

संख्या–06 / प्र०–03(कोर्ट)–01 / 2026– 1681 / पटना, दिनांक– 15.04.2026

श्री इन्द्रजीत सक्सेना (आई०डी०–3437), सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–271 / 2026, इन्द्रजीत सक्सेना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 31.01.2026 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 14.02.2026 के माध्यम से भूतलक्षी प्रभाव से नियमित मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए वेतन का लाभ प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया हैं। उपर्युक्त वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.01.2026 को पारित न्यायनिर्णय में मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"Taking into consideration the submission put forth by the learned counsel for the petitioner and taking into consideration the fact that the representation with respect to claim of the petitioner is pending consideration before the respondent authority as yet, this Court deems it fit and proper to dispose of this writ petition at this stage itself directing the petitioner to file a fresh representation, raising all the grounds as raised in this writ application with all supporting documents with respect to his claim, annexing all the representation filed earlier, which is at P/18 to the writ application, within a period of two weeks from today. Upon such representation is filed, the concerned respondent shall consider the representation of the petitioner and decide it by passing a reasoned and speaking order, in accordance with law, preferably within a period of 45 days from the date of receipt of a copy of the order of this Court, which shall be communicated to the petitioner forthwith."

**श्री सक्सेना को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नत किये जाने से संबंधित मामले के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–**

1. श्री सक्सेना द्वारा विभागान्तर्गत सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 04.07.1987 को योगदान दिया गया है एवं उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–3006 दिनांक 30.06.1995 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता (असै०) के पद पर एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–97 दिनांक 30.01.2009 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (असै०) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या–2106 दिनांक 24.06.2009 द्वारा श्री इन्द्रजीत सक्सेना के साथ–साथ अधीक्षण अभियन्ता स्तर के 07 (सात) अन्य पदाधिकारी को मुख्य अभियन्ता का स्वतंत्र चालू प्रभार **अपने ही वेतनमान में** प्रदान किया गया।
3. विभागान्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता (असै०) से मुख्य अभियन्ता (असै०) के नियमित पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 28.02.2011 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की बैठक की

कार्यवाही में श्री इन्द्रजीत सक्सेना पर **विभागीय अधिसूचना संख्या–1852 दिनांक 09.12.2010 द्वारा कोनार नहर प्रमंडल डुमरी के मामले में नियम–17 प्रभावी रहने एवं विभागीय पत्र संख्या–233 दिनांक 04.02.2010 द्वारा पूर्णियाँ परिक्षेत्र के मामले में स्पष्टीकरण पृच्छा किये जाने** के कारण इनके मामले को निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखने का अनुशंसा प्राप्त हुई। तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–860 दिनांक 11.05.2011 द्वारा श्री सक्सेना के अभ्यावेदन में उल्लेखित श्री राम पुकार रंजन (आई०डी० संख्या–3272) एवं श्री राजेश कुमार (आई०डी० संख्या–3472) सहित 07 (सात) पदाधिकारियों को मुख्य अभियन्ता के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान की गयी।

4. श्री सक्सेना के विरूद्ध विभागान्तर्गत विभिन्न मामलों में अधिरोपित/संसूचित दंड एवं दर्ज थाना कांड की विवरणी निम्नवत है:–

| क्र० सं० | विभागीय अधिसूचना | दंड | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | विभागीय अधिसूचना संख्या–1852 दिनांक 09.12.2010 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना संख्या–1385 दिनांक 19.09.2014 द्वारा संचालित दंड। | 1) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।<br>2) भविष्य में किसी भी प्रोन्नति के अयोग्य। | L.P.A No.540/2021 (CWJC No. - 9537/2016 से उद्भूत) में दिनांक 30.10.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उक्त दंड को निरस्त करते हुये Quantum of Punishment पर पुर्नविचार किये जाने का निदेश प्राप्त है, जिसके आलोक में अनुवर्ती प्रक्रियाधीन है। |
| 2. | विभागीय अधिसूचना संख्या–233 दिनांक 04.02.2010 द्वारा गठित आरोपों के लिए किये गये स्पष्टीकरण से संबंधित मामले में विभागीय अधिसूचना संख्या–1429 दिनांक 24.12.2012 द्वारा संसूचित दंड। | दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। | – |
| 3. | विभागीय पत्रांक–1075 दिनांक 01.10.2012 द्वारा गठित आरोपों के लिए किये गये स्पष्टीकरण से संबंधित मामले में विभागीय अधिसूचना संख्या–186 दिनांक 20.01.2015 द्वारा संसूचित दंड। | दो वर्षो के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति। | – |
| 4. | विभागीय अधिसूचना संख्या–405 दिनांक 05.04.2011 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मामले में अधिसूचना संख्या–141 दिनांक 29.01.2014 द्वारा संसूचित दंड। | चेतावनी | – |
| 5 | श्री सक्सेना के विरूद्ध निम्नांकित थाना कांड दर्ज है :–<br>1. नगर (सहायक) थाना कांड संख्या–403/18 दिनांक 25.06.2018 धारा–409/34 तथा,<br>2. डुमरी थाना कांड संख्या–53/2007 दिनांक 22.02.2007 दर्ज है। | | – |

5. उपर्युक्त कंडिका–3 में उल्लेखित डी०पी०सी० की बैठक (दिनांक 28.02.2011) में जिन दो मामलों के कारण श्री सक्सेना की प्रोन्नति लंबित करते हुए निष्कर्ष मुहर बंद लिफाफा में रक्षित किया गया, उन मामलों में से एक मामला जो कंडिका–4 के क्रमांक–1 पर अंकित है, में अधिरोपित दंड माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने तथा उक्त न्यायादेश के आलोक में Quantum of Punishment पर पुनर्विचार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहने के बावजूद सारणी क्रमांक–2 पर अंकित दंड श्री सक्सेना के विरूद्ध जून–2015 तक प्रभावी रहा है तथा सारणी के क्रमांक–3 पर अंकित दण्ड श्री सक्सेना पर दिनांक 20.01.2017 तक प्रभावी रहा है।

6. विदित हो कि प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामलों में पारित न्याय निर्णय एवं आरक्षण नीति की महत्ता को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–11218 दिनांक 12.08.2014 द्वारा प्रशासनिक हित में सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।

7. एल०पी०ए० संख्या–1066/2015, बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में दिनांक 30.07.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खण्डपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय तथा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–16366/2015, वीरेन्द्र कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुपालन हेतु विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में प्रोन्नति संबंधी डी०पी०सी० की बैठक को स्थगित रखने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–11218 दिनांक 12.08.2014 को वापस लेते हुए प्रोन्नति की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–4800 दिनांक 01.04.2016 द्वारा लिया गया। उक्त के अनुसार अगले आदेश तक उच्चतर पदों पर संवर्गीय **प्रोन्नति पद सोपान के मूल कोटि की वरीयता के आधार पर प्रदान किया जाना एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण एवं परिणामी वरीयता का लाभ तत्काल अगले आदेश तक देय नहीं होना प्रावधानित किया गया।**

8. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के उक्त पत्रांक–4800 दिनांक 01.04.2016 में अन्तर्निहित प्रक्रिया के तहत विभागान्तर्गत वर्ष–2001 में प्रकाशित सहायक अभियंता (असै०) की मूल कोटि वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की दिनांक 17.06.2016 को आहूत बैठक की कार्यवाही में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1673 दिनांक 05.07.2016 द्वारा अधीक्षण अभियंता (असै०) से मुख्य अभियंता (असै०) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई, **जिसमें अंतिम प्रोन्नत पदाधिकारी श्री अरूण कुमार जिनका मूल कोटि वरीयता क्रमांक–2720 है (पृष्ठ–178–177/प० द्रष्टव्य)।** विदित हो कि उक्त वरीयता सूची में **श्री सक्सेना का वरीयता क्रमांक–3866 है, जो उक्त अंतिम प्रोन्नत पदाधिकारी से काफी नीचे है।**

9. **उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 28.02.2011 को संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के उपरांत भी श्री सक्सेना उपर्युक्त कंडिका–4 के क्रम संख्या–2 एवं 3 में उल्लेखित अनुशासनिक कार्यवाही/दंड के प्रभाव में लगातार दिनांक 20.01.2017 तक रहें हैं तथा दिनांक 31.07.2017 को सेवानिवृत्त हो चूके है।** साथ ही वर्ष–2016 में पुनः प्रारंभ हुई प्रोन्नति के क्रम में मूल कोटि वरीयता के अनुसार श्री सक्सेना से कनीय किसी भी पदाधिकारी को प्रोन्नति प्रदान नहीं की गई है।

10. सम्प्रति प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित मामलों के दृष्टिपथ तथा एतद्विषयक मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आदेश–सह–ज्ञापांक–5066 दिनांक 11.04.2019 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया है कि राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी।

11. वर्णित स्थिति में श्री इन्द्रजीत सक्सेना, (आई०डी० संख्या–3437), सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता (असै०) द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से मुख्य अभियंता (असै०) एवं अभियंता प्रमुख (असै०) के पदों पर प्रोन्नति एवं वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने का दावा उनकी अर्हता (निगरानी स्वच्छता/वरीयता) के दृष्टिपथ एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत प्रावधानों के आधार पर मान्य नहीं है।

12. अतएव श्री इन्द्रजीत सक्सेना, (आई०डी० संख्या–3437), सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता (असै०) द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से मुख्य अभियंता (असै०) एवं अभियंता प्रमुख (असै०) के पदों पर प्रोन्नति एवं वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु पत्रांक–शून्य दिनांक 14.02.2026 के माध्यम से समर्पित अभ्यावेदन को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/–
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–06/प्र०–03(कोर्ट)–04/2025– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री इन्द्रजीत सक्सेना (आई०डी०–3437), शीशमहल अपार्टमेन्ट ब्लॉक–बी, फ्लैट–4बी, नियर बहादुरपुर गुमटी, राजेन्द्र नगर, पटना–16, मो०–9431186336 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–06 / प्र०–03(कोर्ट)–04 / 2025– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3 / सी०–05 / 2026–3290 दिनांक 17.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–06 / प्र०–03(कोर्ट)–04 / 2025– 1681 पटना / दिनांक– 15.04.2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/4/26
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।